न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या–14, वाराणसी।

<u>सत्र परीक्षण संख्या– 75/19</u>

राज्य प्रति शहनवाज खान उर्फ भन्टू

<u>आरोप</u>

मै, पुष्कर उपाध्याय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या–14, वाराणसी एतद् द्वारा आप अभियुक्त शहनवाज उर्फ भन्टू पर निम्न आरोप आरोपित करता हूॅ।

प्रथम– यह कि दिनांक–05.12.2018 को समय 20:05 बजे स्थान फुलवरिया रेलवे क्रासिंग के पास अन्तर्गत थाना कैण्ट वाराणसी में पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया और आपकी जामा तलाशी लेने पर आपके दाहिने हॉथ में लिया हुआ एक अदद पिस्टल .32 बोर का तथा पिस्टल के मैंगजीन से 5 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ जिसे रखने का आपके पास कोई लाइसेन्स नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं एतद्द्वारा निर्देश देता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाक–04.04.2019

(पुष्कर उपाध्याय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष सं0–14,वाराणसी

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया और परीक्षण किये जाने की मांग की।

दिनाक–04.04.2019

(पुष्कर उपाध्याय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष सं0–14,वाराणसी